राज़कीय महाविद्यालय कुकुमसेरी, ज़िला लाहौल स्पीति, के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2010 से 3/2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण को सत्यापनार्थ हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए यद्यपि अंकेक्षण अधियाचना संख्या V.D. (211)/2015-99 दिनाँक 03.07.15 द्वारा प्रधानाचार्य से इस सन्दर्भ में अनुरोध भी किया गया था। इस कारण विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनिर्णीत अनुच्छेदों की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की आपत्तियों के निपटारे हेतु सम्बन्धित रिकार्ड सत्यापनार्थ उपलब्ध करवाकर अंकेक्षण अनुच्छेदों का यथानुसार निष्पादन यथाशीघ्र करवाऐं।

विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट अनिर्णीत अनुच्छेदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/04

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/04 से 3/10

1	पैरा–5	निर्णीत
2	पैरा–6.1, 6.2, 6.3 व 6.4	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10.1 व 10.2	अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राज़कीय महाविद्यालय, कुकुमसेरी, ज़िला लाहौल–स्पीति के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/10 से 3/15 तक का वर्तमान अंकेक्षण विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.6.15 (A.F.) से 16.7.15 तक कुकुमसेरी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/10, 7/11, 4/12, 4/13 व 7/14 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/10, 11/11, 10/12, 12/13 व 9/14 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी सूचना/अभिलेख के त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में महाविद्यालय में कार्यरत रहेः–

Sr. No.	Name	Period
1	Dr. P.P. Kaistha	16-6-09 to 6-9-10
2	Ms. Kiran Lohia	6-9-10 to 6-12-10
3	Sh. Sunder Singh	6-12-10 to 18-7-11
4	Dr. N.S. Chandel	18-7-11 to 4-9-12
5	Dr. Rakesh Sharma	27-9-12 to 8-12-14
6	Sh. K.C. Kashyap (Offi.)	2-1-15 to 10-2-15
7	Sh. Hira Lal Thakur (Offi.)	22-2-15 to 31-3-15

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय महाविद्यालय कुकुमसेरी की छात्र निधि लेखाओं तथा संचायिका लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹25000/– किया गया, जिसे जमा करवाने हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या V.D. (211)/2015-104 दिनाँक 8.7.

2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग–9 को रेखाँकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का अनुरोध प्रधानाचार्य से किया गया।

राजकीय महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों अवधि 4/10 से 3/15 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन वार्षिक आय के आधार पर किया गया जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**छात्र निधि आय (₹)**	**संचायिका योजना से आय (₹)**	**कुल आय (₹)**	**अंकेक्षण शुल्क**
2010–11	156336	3380	159716	5000
2011–12	82445	–	82445	5000
2012–13	56162	–	56162	5000
2013–14	95824	–	95824	5000
2014–15	127201	–	127201	5000
			कुल	**₹25000**

4 वित्तीय स्थितिः–

राजकीय महाविद्यालय के लेखों अवधि 4/10 से 3/15 की विभिन्न छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा **परिशिष्ट "क–I से क–III"** में दिया गया है।

5 सावधि जमा योजना में निवेश न करने बारेः–

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधि से अंकेक्षणाधीन अवधि 4/10 से 3/15 के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेश नहीं की गई थी जबकि ₹364400/– से अधिक राशि बैंक में बचत खातों में ही जमा रखी गई थी। यदि महाविद्यालय द्वारा बैंक में बचत खातों में पड़ी इन राशियों में से एक समुचित भाग सावधि योजनाओं में निवेश किया होता तो महाविद्यालय को निश्चित तौर पर अधिक ब्याज प्राप्त होता। अतः भविष्य में उक्त सुझाव के अनुसार कार्यवाही की जाए ताकि अधिक आय का होना सुनिश्चित हो सके।

6 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न किया जानाः–

विभिन्न निधियों से सम्बन्धित रोकड़ बहियों की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश वित्त नियम खण्ड–1 के नियम 2.2 (2) के अनुसार सभी वित्तीय लेन देन जैसे ही घटित हो रोकड़ में इन्द्राज होने चाहिए। महाविद्यालय की छात्र निधियों की रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि निधि से प्राप्त आय को उसी दिन/माह में रोकड़ बही में दर्ज न करके एक लम्बे अन्तराल के पश्चात

रोकड़ बही में दर्ज तथा बैंक में जमा करवाया गया है जोकि नियमानुसार नहीं है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Sr. No.	**Name of Fund**	**Period of income**	**Total Income (₹)**	**Month when income entered in cash book**	**Month when income deposited in bank**
1	Amalgamated	11, 12/2011	42354	4/2012	4/2012
2	Rover & Ranger	-do-	2340	4/12	4/12
3	Music & Geography	-do-	480	4/12	4/12
4	Health	-do-	2808	4/12	4/12
5	Amalgamated	6/2012	45240	4/13	4/13
		12/2012	11025	4/13	4/13
6	Health Fund	6/2012	3589	4/13	4/13
7	Rover & Ranger	6/2012	4464	4/13	4/13
		12/2012	2205	4/13	4/13
8	Music & Geography	6/2012	550	4/13	4/13
		12/2012	300	4/13	4/13
9	Amalgamated	6/2013	9138	4/14	4/14
10	Health	6/2013	600	4/14	4/14
11	House Examination	6/2013	600	4/14	4/14
12	Rover & Ranger	6/2013	720	4/14	4/14
13	Library Fund	6/2013	2400	4/14	4/14
14	University Fund	6/2013	864	4/14	4/14

अतः महाविद्यालय के अभिलेख पर आधारित उक्त तालिका से विदित है कि छात्र निधियों से प्राप्त आय को उसी दिन/माह में रोकड़ बहियों में दर्ज न करने तथा बैंक में राशि को जमा नहीं करवाया गया। ऐसी अवस्थाओं में जहाँ एक ओर राशियों के दुरूपयोग की

सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता वहीं दूसरी ओर ऐसी अवस्थाओं में चोरी की सम्भावनाएें भी बनी रहती है। अतः प्राप्त राशियों को नियमानुसार रोकड़ बहियों में दर्ज न करने के साथ–2 बैंक में निर्धारित समय में जमा न करवाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में निधियों से प्राप्त आय को निर्धारित समय में रोकड़ बहियों में दर्ज किया जाए तथा उसी दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि माह के अन्त में कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया है। अतः नियमानुसार रोकड़ बहियों में प्रत्येक माह में प्राप्त आय व व्यय का विवरण देने के बाद अन्तशेष का व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) छात्र निधियों की रोकड़ बहियों के योग, महाविद्यालय के बड़सर द्वारा सत्यापित किये जाने अपेक्षित है, परन्तु रोकड़ बहियों की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बहियों को महाविद्यालय के बड़सर द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जिसे भविष्य में सुनिश्चित किया जाए।

(iv) महाविद्यालय की फीस व फण्ड वसूली रजिस्टर का रख रखाव भी नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। फण्ड वसूली रजिस्टर में छात्रों से फीस व फण्ड वसूली किस दिन वसूल की गई की दिनांक रजिस्टर में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि दर्ज करना अनिवार्य है। इसी प्रकार फण्ड वसूली रजिस्टर में प्रत्येक छात्र फण्ड से प्राप्त आय को पृथक–2 दर्ज न करके कई फण्डों से प्राप्त आय को एक साथ दर्ज किया जा रहा है जैसे कि मिश्रित निधि के साथ पहचान पत्र निधि, पुस्तक रिपलेसमैन्ट फण्ड, रजिस्ट्रेशन फण्ड, कालेज पत्रिका फण्ड, छात्र गतिविधियाँ निधि, फर्नीचर रिपेयर निधि, फिजिकल ऐजुकेशन निधि, यूथ वेलफेयर निधि इत्यादि से प्राप्त आय को एक साथ ही दर्ज किया जा रहा है। अतः भविष्य में फीस व फण्ड वसूली रजिस्टर में प्रत्येक निधि से प्राप्त आय को पृथक–2 कालम में दर्ज किया जाए तथा अन्त में प्रत्येक फण्ड से प्राप्त आय को महाविद्यालय के बड़सर व प्रधानाचार्य से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर प्राप्त राशि को रोकड़ बहियों में इन्द्राज करके प्रधानाचार्य से सत्यापित करवाया जाए ताकि यह सत्यापित हो सके कि फीस वसूली रजिस्टर से आय का सम्बन्धित रोकड़ बही में सही व पूर्ण इन्द्राज लिया गया है।

(v) मिश्रित निधि की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही को 31.8.14 से 31.3.15 तक प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है तथा इसी प्रकार

म्युचुअल बैनीफिट निधि (M.B. Fund) की रोकड़ बही भी दिनांक 13.7.11 से 31.3.15 तक प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित नहीं की गई है जबकि नियमानुसार रोकड़ बही में प्रत्येक आय व व्यय की राशि का सत्यापन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। अतः रोकड़ बही का सत्यापन न होने के कारणों को स्पष्ट करने के साथ अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

(vii) अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि वर्ष 2012–13 में पुस्तकालय प्रतिभूति निधि व यूनिवर्सिटी निधि से प्राप्त आय को मिश्रित निधि की रोकड़ बही में ही दर्ज किया गया है। अतः पुस्तकालय प्रतिभूति निधि व यूनिवर्सिटी निधि की आय को मिश्रित निधि की रोकड़ बही से हस्तांतरित करके पुस्तकालय प्रतिभूति निधि व युनिवर्सिटी निधि की रोकड़ बहियों में जमा करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

7 रोकड़ बहियों में ₹6700/– की प्रविष्टियाँ दर्ज न होने बारेः–

महाविद्यालय के फीस व निधि संग्रहण रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निधि संग्रहण रजिस्टर पृष्ठ 1769 में माह 6/2011 व 8/2011 में प्राप्त कुल आय ₹6700/– की प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में माह 6/2011 व 8/2011 में दर्ज नहीं पाई गई। अतः प्राप्त आय को कब व किस माह में रोकड़ बहियों में दर्ज किया गया व बैंक में जमा करवाया गया कि जाँच करके विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अथवा राशि की वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए। प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	निधि का नाम	माह	प्राप्त आय (₹)
1	Rover & Ranger	6/2011	150
		8/2011	150
2	House Examination	6/2011	125
		8/2011	125
3	Library Fund	6/2011	500
		8/2011	500
4	Health Fund	6/2011	30
		8/2011	30
5	Amalgamated	6/2011 & 8/2011	5090
		Total	**₹6700**

8 जुर्माना निधि का ₹3215/– को मिश्रित निधि में जमा करवाने बारेः–

महाविद्यालय के फीस व निधि संग्रहण रजिस्टर पृष्ठ 1772, की जाँच करने पर पाया गया कि छात्रों से जुर्माने के रूप में प्राप्त माह 2, 3/2012 की कुल आय ₹3215/– को जुर्माना निधि की रोकड़ बही में जमा न करवाकर, दिनांक 28.6.12 को मिश्रित निधि की रोकड़ बही में जमा करवाया गया है। अतः इस राशि को मिश्रित निधि की रोकड़ बही से जुर्माना निधि की रोकड़ बही में हस्तांतरित किया जाए तथा माह 2, 3/2012 में प्राप्त आय को माह 6/2012 में रोकड़ बही में दर्ज करने के कारणों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

9 मिश्रित निधि से ₹18000/– एन0एस0एस0 कैम्प हेतु ऋण के रूप में अग्रधन का लिया जानाः–

मिश्रित निधि की रोकड़ बही, पृष्ठ 46 की जाँच पर पाया गया कि दिनांक 5.12.13 को ₹18000/– की अग्रिम राशि ऋण के रूप में प्रो0 प्रेमजीत को एन0एस0एस0 के कैम्प हेतु प्रदान की गई। परन्तु इस राशि को अभी तक मिश्रित निधि में वापिस जमा नहीं करवाया गया है। अतः उक्त राशि को उचित स्त्रोत/संस्था से प्राप्त करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 महाविद्यालय पत्रिकाओं की छपवाई पर ₹14900/– का अधिक व्ययः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से ₹147/– प्रति पत्रिका की दर से 150 पत्रिकाएं छपवाकर बिल संख्या 415, दिनांक 18.10.11 द्वारा M/S Arnav Printing Press को ₹22050/– का भुगतान किया गया। वर्ष 2010–11 में महाविद्यालय पत्रिका निधि में 143 छात्रों से ₹50 प्रति छात्र की दर से ₹7150/– की आय प्राप्त की, जबकि पत्रिकाओं की छपवाई पर ₹22050/– का व्यय किया गया। अतः पत्रिकाओं की छपवाई पर ₹14900/– के अधिक व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक व्यय को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

11 छात्रों की संख्या से अधिक महाविद्यालय पत्रिकाओं का छपवाया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2010–11 में महाविद्यालय द्वारा मिश्रित निधि से M/S Him Taru Publication Kullu से बिल संख्या 217 दिनांक 1.7.10 द्वारा ₹30.16 प्रति

पत्रिका की दर से 300 पत्रिकाएं छपवाई गई जबकि वर्ष 2009–10 में कुल छात्र संख्या 109 थी। छात्र संख्या से अधिक 191 पत्रिकाओं की छपवाई पर ₹5760/– का अधिक व्यय किया गया। अतः अधिक छपवाई गई पत्रिकाओं का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 खरीदे गये ₹6927/– के सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना

महाविद्यालय द्वारा निम्न विवरणानुसार क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई है जबकि प्रत्येक खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ तथा खपत का विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित हैः–

Sr. No.	**Fund**	**Bill No. & Date**	**Name of Firm**	**Item**	**Amount (₹)**
1	Amalgamated	840/26.8.10	M/S Fancy Stationery Udaipur	Stationery	582
2	-do-	489/26.8.10	M/S Amer Gen. Store Udaipur	Vegitables	550
3	-do-	42/26.8.10	M/S Sharma Brothers Udaipur	Pen	60
4	-do-	Nil/26.8.10	M/S Augdni & Sons Udaipur	Sweets	300
5	-do-	1990/6.9.12	M/S Amar Gen. Store Udaipur	Grocery	1500
6	-do-	485/30.11.13	M/S R.K. communication, Udaipur	Stationery	620
7	-do-	484/30.11.13	-do-	Banner	700
8	-do-	65.30.11.13	M/S Amar Gen. Store Udaipur	Grocery	1815
9	-do-	483/1.12.13	M/S Thakur Gen. Store Udaipur	Sweets	800
				Total	**₹6927**

अतः उपरोक्त क्रय किए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में की जानी सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में निधियों से क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ क्रय के तुरन्त बाद तथा खपत सम्बन्धी स्टॉक प्रविष्टियाँ भी यथानुसार ही की जानी सुनिश्चित की जाए।

13 भुगतान की ₹22247/– की वास्तविक प्राप्तकर्ता से रसीदें प्रस्तुत न करनाः–

छात्र निधियों के लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में वास्तविक भुगतान से सम्बन्धित प्राप्ति की रसीदें अभिलेख में नहीं पाई गई। अतः भुगतान की रसीदों को प्राप्त करके सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

Sr. No.	Description of Fund	Cash Book Page No.	Description of firm	Bill No. & Date	Amopunt (₹)
1	Library Fund	12	M/S Thakur Brothers Hamirpur	1868/23.9.13	4421
2	-do-	17	M/S Thakur Brothers Hamirpur	2721/14.8.14	13927
3	Amalgamated Fund	-	M/S Shenkar Printing Press, Ghumarwin	253/20.6.11	1900
4	University Fund	9	H.P. University	-	1999
				Total	**₹22247**

14 प्रधानाचार्य के भुगतान आदेश पारित किए बिना ₹14352/– का भुगतानः–

निधि लेखों की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि में निम्नविवरणानुसार ₹14352/– की राशि का भुगतान/समायोजन बिल/वाउचरों में प्रधानाचार्य के भुगतान आदेश पारित किए बिना कर दिया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य में भुगतान आदेश पारित के उपरान्त ही भुगतान किया जाए।

Sr. No.	**Description of Fund**	**Bill No. & Date**	**Description of firm**	**Amount (₹)**
1	Amalgamated	1979/7.6.10	M/S Anu PrintingPress, Keylong	440
2	-do-	840/26.8.10	M/S Fancy Stationary Corner, Udaipur	582
3	-do-	489/26.8.10	M/S Amar General Store, Udaipur	550
4	-do-	452/26.8.10	M/S Sharma Brothers Udaipur	60
5	-do-	Nil/26.8.10	M/S Angdui & Sons Udaipur	300
6	-do-	253/20.6.11	M/S Shankar Printing Press, Ghumarwin	1900
7	-do-	728/19.9.11	M/S R.K. Brothers Udaipur	265
8	-do-	1990/6.9.12	M/S Amar General Store, Udaipur	1500
9	Library Fund	1027/9.11.11	M/S Kapoor Industries, Shamshi, Kullu	7560
10	Amalgamated	059/13.12.13	M/S Angdni & Sons Udaipur	595
11	-do-	Nil/13.12.13	M/S Smile sweet shop, Udaipur	500
12	-do-	1138/13.12.13	M/S Negi Bhai Gen. Store, Udaipur	100
			Total	**₹14352**

15 ₹5040/– के बिल वाउचर जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

मिश्रित निधि की रोकड़ बही पृष्ठ 53 की जाँच पर पाया गया कि ₹30000/– दिनांक 11.9.14 को इन्टर कालेज क्रिकेट प्रतियोगिता जोकि 22.9.14 से 24.9.14 तक सुन्दरनगर, जिला मण्डी में आयोजित की गई थी, के व्यय हेतु निकाले गए। उक्त राशि के समायोजन वाउचरें की जाँच पर पाया गया गया कि ₹5040/– का व्यय क्रिकेट किट व शूज की खरीद पर दर्शाया गया था परन्तु इस व्यय के बिल/वाउचर समायोजन वाउचरों के साथ संलग्न नहीं थे। अतः ₹5040/– के व्यय वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इस राशि को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूली करके मिश्रित निधि में जमा किया जाए।

16 मिश्रित निधि से क्रिकेट की वर्दियाँ खरीद कर छात्रों में वितरित करने के सन्दर्भ मेंः–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से 12 क्रिकेट किट व शूज, जिसका कुल मूल्य ₹20160/– था, M/S S & S Traders, Mohal जिला कुल्लू से बिल नं0 140 दिनांक 10.9.14 द्वारा क्रय करके तथा कुल व्यय का आधा भाग ₹9600/– छात्रों से प्राप्त करके क्रिकेट किट व शूज स्थाई रूप से छात्रों कों दे दिए गए परन्तु स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 27 की जाँच में पाया गया कि खेल की वर्दियाँ किन–किन खिलाड़ियों को जारी की गई का कोई भी विवरण दर्ज नहीं था व न ही कोई विवरण अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया गया। अतः क्रय की गई वर्दियों के वितरण का विवरण व खिलाड़ियों की पावतियों को आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए।

17 म्युचुअल बैनीफिट निधि से ₹2450/– के व्यय वाउचर जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

म्युचुअल बेनीफिट निधि की रोकड़ बही पृष्ठ 9 की जाँच पर पाया गया कि दिनांक 1.10.14 को ₹2450/– का व्यय रोकड़ बही में दर्शाया गया है परन्तु व्यय का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है व न ही इस व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर जाँच हेतु उपलब्ध करवाए गये। अतः व्यय का पूर्ण विवरण रोकड़ बही में दर्ज किया जाए तथा व्यय

वाउचरों को आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा ₹2450/– की राशि की वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा की जाए।

18 पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर का रख रखाव न करनाः–

महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि में छात्रों से पुस्तकालय प्रतिभूति निधि की वसूली तो की गई परन्तु इसका प्रतिभूति रजिस्टर में रख रखाव नहीं किया गया। अतः तुरन्त प्रभाव से अपेक्षित रजिस्टर का रख रखाव करते हुए अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त प्रतिभूति राशियों का इन्द्राज किया जाए व छात्रों से छात्रवार प्रतिभूति की प्राप्ती, वापसी व जब्त प्रतिभूतियों इत्यादि से सम्बन्धित इन्द्राज उक्त रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित किए जाएं।

19 लघु आपत्ति विवरणिकाः– यह अलग से ज़ारी नहीं की गई।

20 निष्कर्षः– निधि लेखों व स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच 2(सी) 15 xi/viii-35/04खण्ड–1–7072–7074 दिनाँकः04.12.15 शिमला–09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0, शिमला–171001

2 उप–निदेशक, (उच्चत्तर शिक्षा) लाहौल एवं स्पीति, ज़िला लाहौल एवं स्पीति, हि0प्र0

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कुकमसेरी, ज़िला लाहौल स्पीति (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009